हर घर जल
जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन अंतर्गत

नल जल योजना

हस्तांतरण की प्रक्रिया

स म
र्थ न

WELT HUNGER HILFE
WHH

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

हर घर जल
जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत को योजना हैण्ड ओवर करने संबधी प्रक्रिया

जल जीवन मिशन

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिये घोषणा की गई थी। मिशन का उद्देश्य नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को किफायती दरों पर पर्याप्त मात्रा में नियमित और लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल (प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम 55 लीटर) उपलब्ध कराना है। इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक गाँव के हर घर को चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थागत व्यवस्थायें बनायी गयी हैं। 'जल जीवन मिशन' के तहत केवल बुनियादी ढांचे को महत्व न देकर सर्विस डिलीवरी (भरोसेमंद सेवा) पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्थाओं को भी स्थानीय जल प्रदाय संस्थान के रूप में परिवर्तित किया जाना जरूरी होगा।

ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका

जल जीवन मिशन के संचालन एवं रखरखाव में ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो अपने गांव और पंचायत के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की लिये जवाबदेह है। इस मिशन के बेहतर संचालन एवं क्रियान्वयन में महिलाओं की सहभागिता आवश्यक है जिससे उनकी गांव में पानी का बेहतर प्रबंधन के बारे में समझ विकसित होगी साथ ही गांव का सामान्य जीवन भी बेहतर होगा। अतः ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों के लिये योजना हस्तांतरण की प्रक्रिया में यह दस्तावेज मददगार होगा।

टीपः- यह पुस्तिका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र. 840 दिनांक 06/09/2022 के अनुसार सरल भाषा में तैयार की गयी है।

योजना हस्तांतरण (योजना हैण्डओवर) चरण

एकल नल जल योजना का काम पूरा होने के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को योजना हस्तांतरण (योजना हैण्ड ओवर) करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इस प्रक्रिया को नीचे चरणों के माध्यम से बताया गया है। प्रक्रिया को पूरा करने के लिये 5 प्रपत्र को भरना जरूरी है। जिसके बारे में आगे बताया गया है।

चरण-1 जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी प्रावधानों के अनुसार कार्य पूर्ण हो जाने के बाद विभागीय इंजीनियर ग्राम पंचायत और जल समिति को, स्कीम पूरी बन जाने की जानकारी देंगे। स्कीम की जांच का समय तय किया जायेगा।

चरण-2 ग्राम पंचायत और जल समिति द्वारा गांव में ग्रामसभा कराई जायेगी, जहां घर जल संबंधी प्रस्ताव पारित कर पंचायत सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर सभी ग्राम सभा सदस्य हाथ उठाकर सहमति या समर्थन प्रदान करेंगे।

चरण-3 ग्रामसभा में पानी की सप्लाई की व्यवस्था को चलाने एवं उसके रखरखाव के लिये तैनात किये जाने वाले लोगों (पंप ऑपरेटर) और मासिक खर्चों से जुड़े (पंप ऑपरेटर का मानदेय, बिजली बिल, साधारण रख-रखाव) आदि के लिये भी चर्चा कर निर्णय लेना है।

चरण-4 ग्रामसभा की पूरी कार्यवाही का दो मिनट का एक वीडियो बना लें जिसे ग्रामसभा में आये सभी ग्रामवासियों को अच्छी तरह से दिखाया व सुनाया जा सकें।

चरण-5 एक ऐसा वीडियो भी बनायें जिसमें सरपंच व ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष और सचिव ग्रामसभा में मौजूद ग्रामवासियों से पूछते हैं कि क्या गांव के सभी घरों में नल से साफ पानी पहुंच रहा है या नहीं।

चरण-6 दोनों वीडियो रिकार्डिंग एवं ग्रामसभा के प्रस्ताव को जल जीवन मिशन के मोबाइल एप या वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

चरण-7 'हर घर जल' का प्रमाण पत्र तैयार है जिसका प्रिंट निकालकर गाँव के प्रमुख स्थान पर लगा सकते है। और पूरा गांव 'हर घर जल घोषित' होने के कारण आप गांव स्तर पर उत्सव मनाकर -एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं।

सभी घरों में पर्याप्त एवं नियमित नल जल उपलब्ध कराने के लिये सत्यापन

- प्रपत्र (अ) भरने के पहले पंचायत एवं जल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों का चयन होना आवश्यक है।
- सभी वार्ड एवं घरों में वाटर सप्लाई टेस्टिंग नियमित रूप से 90 दिन तक हुई है या नहीं ?
- गांव में योजना का कोई भी कार्य शेष तो नहीं है?
- टेस्टिंग के दौरान पाइप लाइन या चेक वाल्व में कोई लीकेज तो नहीं था?
- टेस्टिंग के दौरान सभी घरों में पानी गुणवत्ता एवं तय मात्रा (55 लीटर/ व्यक्ति) के मानक अनुसार उपलब्ध हो रहा है?
- टेस्टिंग के दौरान सभी सार्वजनिक संस्थानों में जैसे स्कूल, आंगनवाडी में प्याऊ के माध्यम से जल की आपूर्ति हो रही है ?
- इन सभी बिन्दुओं का सत्यापन करने के बाद ही आगे की कार्यवाही तय करें।

'प्रपत्र –अ'

प्रमाण पत्र

दिनांक.........................

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम .... ग्राम पंचायत .... विकासखण्ड .... जिला .... में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित एकल ग्रामीण नल जल योजना अंतर्गत विगत .... माह में दिनांक .... को ट्रायल के दौरान ग्राम के प्रत्येक परिवार को उचित दबाव एवं मात्रा में नियमित जल प्रदाय किया जा रहा है, ग्राम में योजना का कोई भी कार्य शेष नहीं है। एतद् द्वारा इस बात की पुष्टि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नल जल योजना के सत्यापन के उपरांत की जाती है।

उपयंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,
उपखंड ....

सहायक यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,
उपखंड ....

सचिव
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
ग्राम ....
ग्राम पंचायत ....

अध्यक्ष/सरपंच
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
ग्राम ....
ग्राम पंचायत ....

एकल ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना में सम्मिलित अवयवों का सत्यापन

पंचायत सरपंच, जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष, सचिव और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के यंत्री तथा उपयंत्री द्वारा निम्न बिन्दुओं के मानक अनुसार सत्यापन करने के बाद प्रपत्र (ब) भरा जाता है।

- नल जल योजना की विभागीय तकनीकी स्वीकृति।
- लागत के विवरण।
- कार्य शुरू एवं पूर्णता वर्ष/ अवधि।
- कितने घरों, शासकीय एवं शैक्षणिक संस्थानों में नल कनेक्शन लगा है।
- योजना चलाने के लिये लगाई गई सभी सामग्री (जैसे की नलकूप, मोटर, पाइप लाइन, बिजली उपकरण) कितनी मात्रा में कहाँ-कहाँ लगा है।
- क्षमता, गहराई, कार्य अवधि एवं गुणवत्ता की जानकारी।
- पंचायत एवं जल समिति के सदस्य कोशिश करें कि वार्ड / मोहल्ला/ फलिया का सत्यापन करते समय उस वार्ड के सदस्य एवं समुदाय के लोग भी सहभागी हो।

'प्रपत्र -ब'

एकल ग्रामीण नल जल योजना में सम्मिलित अवयवों के सत्यापन हेतु चेक लिस्ट एवं प्रतिवेदन

1) योजना का नाम : ....

ग्राम .... ग्राम पंचायत .... विकासखण्ड ....

जिला .... में जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित नल जल योजना है।

2) योजना की स्वीकृति का संदर्भ :

(क) स्वीकृत लागत रूपये लाख में ....

(ख) तकनीकी स्वीकृति क्रमांक .... दिनांक .... जारीकर्ता ....

(ग) प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक ....

(घ) म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल का ओदश क्रमांक .... दिनांक ....

(ङ) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .... परिक्षेत्र ....का आदेश क्र. .... दिनांक ....

(च) योजना के क्रियान्वयन का वर्ष ....

(छ) योजना का रूपांकित वर्ष ....

उक्त स्वीकृत योजना के अंतर्गत निम्नानुसार अवयवों का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड ....

जिला .... द्वारा कराया गया है।

<table>
<tr><th>क्र.
सं.</th><th>अवयव</th><th colspan="4">विवरण मात्रा</th><th>अवयवों के दिये गये विवरण अनुसार किये गये भौतिक सत्यापन में पायी गई स्थिति (हाँ/ नहीं)</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जल स्रोत (नलकूप)</td><td colspan="4">1. संख्या ....
2. लोकेशन ....
3. व्यास .... मि.मी.
4. गहराई .... (मीटर में)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>नलकूप पर स्थापित सब-मर्सिबल मोटर पंप सेट</td><td colspan="4">1. संख्या ....
2. निर्माता ....
3. हैड .... (मीटर में)
4. डिस्चार्ज .... (लीटर प्रति मिनट में)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>नलकूप पर विद्युत संयोजन</td><td colspan="4">1. भार क्षमता ....
एवं फेज (सिंगल/थ्री फेज) ....
2. विद्युत संयोजन सर्विस क्र. ....
3. विद्युत मीटर क्र. ....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">राइजिंगमेंन</td><td>क्र.</td><td>पाईप का प्रकार/क्लास</td><td>पाईप का व्यास (मि.मी. में)</td><td>लंबाई (मी.में)</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>सम्पवेल सह पंप हाउस</td><td colspan="4">1. संख्या ....
2. सम्पवेल की क्षमता (लीटर में) ....
3. स्थापित मोटरपंपों की संख्या ....
4. निर्माता ....
5. हैड .... (मीटर में)
6. डिस्चार्ज .... (लीटर/ मिनट में)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>सम्पवेल पर विद्युत संयोजक</td><td colspan="4">1. भार क्षमता ....
2. विद्युत संयोजन सर्विस क्र. ....
3. विद्युत मीटर क्र. ....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>स्वीकृत योजनान्तर्गत निर्मित आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी</td><td colspan="4">1. संख्या ....
2. क्षमता .... (किलो लीटर में)
3. स्टेजिंग .... (मीटर में)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">जल वितरण नलिकायें (नल जल योजना के अवयव दर्शाते हुये एक नजरी नक्शा भी संलग्न किया जाये)</td><td>क्र.</td><td>पाईप का प्रकार/क्लास</td><td>पाईप का व्यास (मि.मी. में)</td><td>लंबाई (मीटर में)</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>वितरण वाल्व</td><td>क्र.</td><td>प्रकार</td><td>व्यास (मि.मी. में)</td><td>संख्या</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

क्र. सं.	अवयव	विवरण मात्रा			अवयवों के दिये गये विवरण अनुसार किये गये भौतिक सत्यापन में पायी गई स्थिति (हाँ/ नहीं)	रिमार्क
10	डिसिन्फेक्शन यूनिट	1. प्रकार .... 2. संख्या .... 3. क्षमता				
11	क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन	क्र.	बसाहट का नाम	घरेलू नल कनेक्शन की संख्या		
12	शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में नल से जल के कार्य	क्र.	संस्था का नाम			

उपयंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,उपखंड ....

सहायक यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,उपखंड ....

सचिव
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
ग्राम ....
ग्राम पंचायत ....
विकासखंड ....

अध्यक्ष
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
ग्राम ....
ग्राम पंचायत ....
विकासखंड ....

सरपंच
ग्राम पंचायत ....
विकासखंड ....

एकल गांव नल जल प्रदाय योजना हस्तांतरण के लिये प्रतिवेदन

एकल गांव योजना के हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिये उपरोक्त प्रपत्र अनुसार सभी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद 'प्रपत्र-स' में दी गयी जानकारी भरी जाती है। इस तरह से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को योजना हस्तांतरित करने की कार्यवाही पूरी की जाती है।

'प्रपत्र -स'

एकल ग्रामीण नल जल योजना का हस्तांतरण प्रतिवेदन

1) योजना का नाम : ....

ग्राम .... ग्राम पंचायत .... विकासखण्ड ....
जिला .... में जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित नल जल योजना है।

2) योजना की स्वीकृति का संदर्भ :

(क) स्वीकृत लागत रूपये लाख में ....

(ख) तकनीकी स्वीकृति क्रमांक .... दिनांक ....जारीकर्ता ....

(ग) प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक ....

(घ) म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल का ओदश क्रमांक .... दिनांक ....

(ङ) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .... परिक्षेत्र ....का आदेश क्र.......... दिनांक ....

(च) योजना के क्रियान्वयन का वर्ष ....

(छ) योजना का रूपांकित वर्ष ....

उक्त स्वीकृत योजना के अंतर्गत निम्नानुसार अवयवों का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड .... जिला .... द्वारा कराया गया है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>अवयव</th><th>विवरण मात्रा</th><th>अवयवों के दिये गये विवरण अनुसार किये गये भौतिक सत्यापन में पायी गई स्थिति (हाँ/ नहीं)</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जल स्रोत (नलकूप)</td><td>1. संख्या ....
2. लोकेशन ....
3. व्यास .... मि.मी.
4. गहराई .... (मीटर में)
5. खनन के दौरान प्राप्त जल आवक क्षमता ....(लीटर प्रति घंटा)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>नलकूप पर स्थापित सब-मर्सिबल मोटर पंप सेट</td><td>1. संख्या ....
2. निर्माता ....
3. सरल क्रमांक ....
4. हैड .... (मीटर में)
5. डिस्चार्ज .... (लीटर प्रति मिनट में)
6. नलकूप में लगाये गये पाईप का प्रकार, व्यास एवं मात्रा ....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>नलकूप पर विद्युत संयोजन</td><td>1. भार.............. क्षमता ....
2. विद्युत संयोजन सर्विस क्र. ....
3. विद्युत मीटर क्र. ....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>राइजिंगमेंन</td><td><table><tr><th>क्र.</th><th>स्थल</th><th>पाईप का प्रकार/ क्लास</th><th>पाईप का व्यास (मि.मी. में)</th><th>लंबाई (मीटर में)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>सम्पवेल सह पंप हाउस</td><td>1. संख्या ....
2. सम्पवेल की क्षमता (लीटर में) ....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>सम्पवेल पर विद्युत संयोजक</td><td>1. भार क्षमता ....
2. विद्युत संयोजन सर्विस क्र. ....
3. विद्युत मीटर क्र. ....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>स्वीकृत योजनान्तर्गत निर्मित आर.सी.सी.उच्च स्तरीय टंकी</td><td>1. संख्या ....
2. क्षमता .... (किलो लीटर में)
3. स्टेजिंग .... (मीटर में)
4. टंकी परिसर की बाउण्ड्रीवाल की लंबाई...(मी. में)</td><td></td><td></td></tr>
</table>

क्र. सं.	अवयव	विवरण मात्रा	अवयवों के दिये गये विवरण अनुसार किये गये भौतिक सत्यापन में पायी गई स्थिति (हाँ/ नहीं)	रिमार्क
8	जल वितरण नलिकायें (नल जल योजना के अवयव दर्शाते हुये एक नजरी नक्शा भी संलग्न किया जाये)	क्र.; पाईप का प्रकार/क्लास; पाईप का व्यास (मि.मी. में); लंबाई (मीटर में)		
9	वितरण वाल्व	क्र.; प्रकार; व्यास (मि.मी. में); संख्या		
10	डिसिन्फेक्शन यूनिट	1. प्रकार .... 2. संख्या .... 3. क्षमता		
11	क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन	क्र.; बसाहट का नाम; घरेलू नल कनेक्शन की संख्या		
12	शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में नल से जल के कार्य	क्र.; संस्था का नाम		

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम .... ग्राम पंचायत .... विकास खंड .... जिला .... में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित एकल ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के अवयव संलग्न प्रपत्र ब अनुसार वर्तमान में क्रियाशील स्थिति में पाये गये। उक्त योजना को ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाता है।

उपयंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,उपखंड ....

सहायक यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,उपखंड ....

सचिव
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
ग्राम ....
ग्राम पंचायत ....
विकासखंड ....

अध्यक्ष
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
ग्राम ....
ग्राम पंचायत ....
विकासखंड ....

सरपंच
ग्राम पंचायत ....
विकासखंड ....

ग्राम सभा का संकल्प एवं ठहराव प्रस्ताव

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को कार्य पूर्णता रिपोर्ट देने के बाद ग्राम पंचायत और ग्राम जल व स्वच्छता समिति द्वारा गाँव में ग्रामसभा का आयोजन किया जाना है। ग्रामसभा में समुदाय को योजना के बारे में निम्नानुसार जानकारी देते हुये 'प्रपत्र –द' भरने की कार्यवाही की जाती है।

- वर्तमान में कोई भी परिवार बिना नल कनेक्शन का नहीं है ।
- नल जल योजना के अंतर्गत गांव में कितने किलो लीटर की टंकी एवं सम्पवेल लगा है ।
- डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन एवं राइजिंग पाइप लाइन कितने मीटर बिछाई गयी है।

- सभी घरों में उचित प्रेशर एवं पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो इसके लिए कितने चेक वाल्व लगाये गये हैं।
- कौन से बोरवेल में कितने HP का एवं किस कम्पनी का मोटर लगा है एवं उसकी वारंटी / गारन्टी अवधि क्या है इसकी सही जानकारी जानकारी लें।
- सभी उपकरणों के बिल, गारंटी वारंटी एवं संचालन के तकनीकी पहलु के कागजात पंचायत अपने पास रख ले।

'प्रपत्र -द'

कार्यालय ग्राम पंचायत ....

ग्राम ....

जनपद पंचायत .... जिला .... म.प्र.

ग्रामसभा का संकल्प/ठहराव प्रस्ताव

(ग्राम सभा के संकलप/ठहराव प्रस्ताव का प्रारूप: ग्राम सभा की बैठक दिनांक.........................)

प्रस्ताव क्रमांक .... दिनांक ....

क्र	विषय	पारित प्रस्ताव
1	ग्राम .... की नल जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण हेतु ग्राम सभा को हैण्डओवर करने की सहमति पर चर्चा	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत .... के ग्राम .... में नल जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र के अनुसार गठन किया गया है। नल जल योजना अंतर्गत ग्राम में .... हजार लीटर की पानी टंकी का निर्माण एवं .... मीटर पाईप लाईन बिछाई गयी है। ग्राम के सभी परिवार को पर्याप्त पानी मिल सके इसके लिये .... वाल्व लगाये गये है। ग्राम में .... के पास बोरवेल करवाकर उसमें.................... एच. पी. की मोटर डालकर ग्राम के निवासरत .... परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किये जाकर जल प्रदाय किया जा रहा है एवं वर्तमान में ग्राम में कोई भी परिवार नल कनेक्शन से वंचित नहीं है। समिति का बैंक खाता क्र. .... है जो कि .... बैंक की शाखा में संचालित है। नल जल योजना संबंधी लेखा कार्य हेतु पृथक केश बुक/लेजर संधारित की जायेगी। समिति शासन के नियमानुसार प्रत्येक उपभोक्ता से नल कनेक्शन शुल्क एवं प्रतिमाह जल प्रभार राशि प्राप्त करेगी। प्रतिमाह बिजली बिल का भगतान, पंप आपरेटर का मानदेय एवं अन्य भुगतान शासन के नियमानुसार किया जायेगा। ग्राम की योजना का संचालन एवं संधारण करने हेतु ग्रामसभा सर्वसम्मति से समिति को योजना हैण्ड ओवर करने का प्रस्ताव पारित करती है।

सचिव
ग्राम पंचायत ....

सरपंच
ग्राम पंचायत ....

हर घर जल
जल जीवन मिशन

संलग्नक -6

ग्राम में 100 प्रतिशत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रमाण पत्र

मिलकर करें काम , बनायें जीवन आसान

मैं .... सरपंच/अध्यक्ष ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति (VWSC) ग्राम.. ग्राम पंचायत .... जिला .... मध्य प्रदेश एवं मैं .... सचिव, ग्राम पंचायत .... प्रमाणित करता हूं। कि हमारा गांव 100 प्रतिशत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) ग्राम हो गया है। अतः आज दिनांक .... को ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

हस्ताक्षर
सरपंच/अध्यक्ष पानी समिति
नाम ....
अधिकारिक मुहर

हस्ताक्षर
पंचायत सचिव
नाम ....
अधिकारिक मुहर

ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें-

- ग्राम सभा में योजना संचालन के लिए नियमावली पर चर्चा कर जलकर एवं जल वितरण समयावधि तय करना।
- एकल नल जल योजना के हस्तांतरण के समय ग्रामसभा हो, जिसमें विशेष रूप में यह ध्यान रखा जाये कि बैठक में सभी वर्ग तथा गाँव के सभी वार्ड, फलिया,टोले, मोहल्ले के पुरुष एवं महिलाओं की समुचित भागीदारी हो तथा उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों को ग्रामसभा की कार्यवाही में जोड़ा गया है।
- ग्राम सभा द्वारा पानी की सप्लाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और उसके रखरखाव के लिए रखे गये लोगों और मासिक जलकर से जुड़े मसलों पर (जैसे बिजली बिल, पंप ऑपरेटर का मानदेय, साधारण मरम्मत) आदि के भी निर्णय लिये जायें।
- ग्राम सभा की इस पूरी कार्यवाही का दो मिनिट वीडियों जरूर बनायें, जिसको सभी मौजूद ग्रामवासियों को अच्छी तरह दिखाया और सुनाया जा सके। जल जीवन मिशन का वेबसाइट पर जल वितरण प्रणाली की अन्य सुविधायें जैसे पानी की टंकी, पंप हाउस आदि के स्पष्ट वीडियो अपलोड करवायें।
- वीडियो रिकार्डिंग एवं ग्रामसभा के प्रस्ताव को जल जीवन मिशन के मोबाइल एप या वेबसाइट पर अपलोड जरूर करायें।
- ग्राम सभा की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद जिला स्तर पर कार्यरत विभाग के अधिकारी से यह पुष्टि करवायें कि ग्राम सभा का प्रस्ताव और ग्राम सभा की कार्यवाही का वीडियो, सभी दस्तावेज सही तरह से पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए है।

प्रक्रिया से संबंधित मुख्य बातें

1. योजना से संबंधित सभी तथ्यों का बारीकी से सत्यापन करें।
2. कोशिश करें कि सत्यापन करते समय उस वार्ड एवं समुदाय के सदस्य शामिल हो।
3. योजना हैण्ड ओवर प्रक्रिया के सभी प्रपत्रों को ध्यानपूर्वक भरें।
4. ऐसा कोई बिन्दु जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसे तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्ति से पूछ कर भरें।
5. योजना आपके गांव की है अत: किसी के दबाव में आकर इस प्रक्रिया को बिल्कुल न करें।
6. ग्रामसभा सदस्यों की सहमति हो तो ही योजना हैण्डओवर लें।
7. पानी टंकी की सफाई का समय अंतराल, मोटर की गारंटी, चेकवॉल्व बदलने की समयावधि, आदि जानकारी एकत्रित करना।

समर्थन के बारे में

समर्थन -सेंन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो विगत 25 वर्ष से भारत देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, अन्य स्वंयसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो जिससे समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित पैरवी करना भी संस्था का प्रमुख कार्य है।

हमारे विषयगत (Thematic) केन्द्र

सुशासन, सामाजिक जवाबदेही (CSAAP): यह केन्द्र ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), सोशल आडिट,सामाजिक सुरक्षा पेंशन,मनरेगा,कृषि विकास, जन दर्पण पोर्टल, पेसा कानून,वन अधिकार अधिनियम आदि के माध्यम से गरीब और वंचितों को उनके हक एवं अधिकार दिलाने तथा स्थानीय सुशासन को सशक्त बनाने के लिये काम करता है।

पर्यावरण, जल, स्वच्छता और सामुदायिक स्वास्थ्य (CEWASH): यह केन्द्र पर्यावरण, स्वच्छता,पानी, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं को जमीनी स्तर पर बेहतर बनाने की रणनीति और विस्तार देने के लिये काम करता है।

स म
र्थ न

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट
36 ग्रीन एवेन्यु चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल
ई मेल: info@samarthan.org
बेवसाईट: www.samarthan.org
मोबा: 09893563713